

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 117 / 2024

जीसीएमएस नम्बर 2024 / 269

1. सीता पुत्री चेनाराम आयु 57 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी सांचौर तहसील सांचौर, जिला-
जालोर,

अनवान

वादीया.....

1. मोहनलाल पुत्र मनजीराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर तहसील सांचौर।
2. पोपटलाल पुत्र चेनाराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर तहसील सांचौर।
3. रखमोदेवी पत्नी चेनाराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर तहसील सांचौर।
4. मगीदेवी पत्नी शंकराराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर तहसील सांचौर।
5. भाकचंद पुत्र डूंगराराम जाति मेघवाल निवासी मालवाडा तहसील चितलवाना।
6. नगरपालिका सांचौर जरीये अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद, सांचौर (राज०)
7. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर।
8. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय सांचौर।

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राज० काश्त० अधिनियम 1955

उपरिस्थिति :-

1. वादीया की ओर अधिवक्ता श्री लाघुसिंह किलवा, श्री अमृत मेघवाल।
2. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता डिम्पल माहेश्वरी, प्रतिवादी 6 की ओर से श्री प्रतापाराम विश्णोई प्रतिवादीगण सं. 1 से 3, 5, 7, 8 एकपक्षीय।

:-निर्णय:-

दिनांक:- 20.05.2025

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 18.03.2025 को सरहद मौजा मौखुपुरा पटवार मण्डल सांचौर के खेत खसरा नम्बर 2656, 2660 रकबा जुमले रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2661 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3944/3888 रकबा 1.4382 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2657 रकबा 0.07 हैक्टेयर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/171 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डरी के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भू.अ./2025/1735 दिनांक 05.05.2025 से इस तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया।



सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया, वादीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका निस्तारण किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	सीता पुत्री चैनाराम जाति मेघवाल निवासी मौखुपुरा	3944 / 3888	1.4382	0.3960	चाही प्रथम	गहरा नीला (कॉलम 1)	9.11
2.	नर्मदा नहर परियोजना उपखण्ड तृतीय सांचौर	2656	0.3500	0.35	गैर मुमकिन नहर	आसमानी (कॉलम 2)	0
3.	भाकचंद पुत्र डूंगराराम जाति मेघवाल निवासी मालवाड़ा तहसील चितलवाना	3944 / 3888	1.4382	0.45	चाही प्रथम	गहरा हरा (कॉलम 3)	10.35
				0.41	जाव प्रथम		3.28
4.	पोपटलाल पुत्र चैनाराम जाति मेघवाल निवासी मौखुपुरा, भाकचन्द पुत्र डूंगराराम जाति मेघवाल निवासी मालवाड़ा, चितलवाना। मोहनलाल पुत्र मनजीराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर	3944 / 3888	1.4382	0.1822	चाही प्रथम	गुलाबी (कॉलम 4)	4.19
5.	नगरपालिका सांचौर	2661	1.0800	0.1900	जाव प्रथम	गहरा नारंगी (कॉलम 5)	1.52
				0.3605	चाही प्रथम		8.29
6.	मोहनलाल पुत्र मनजीराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर	2657	0.0700	0.05	चाही प्रथम	हल्का नीला (कॉलम 6)	1.15
				0.02	जाव प्रथम		0.16
				2661	1.0800		0.20
7.	मगी देवी पत्नी शंकराराम जाति मेघवाल निवासी मौखुपुरा।	2660	0.03	0.03	गै.मु. ढाणी	बैंगनी (कॉलम 7)	0
8.	मगी देवी पत्नी शंकराराम जाति मेघवाल निवासी मौखुपुरा। मोहनलाल पुत्र मनजीराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर।	2661	1.0800	0.3145	चाही प्रथम	हल्का हरा (कॉलम 8)	7.23
9.	मगी देवी पत्नी शंकराराम जाति मेघवाल निवासी मौखुपुरा। रखमो पत्नी चैनाराम। सीता पुत्री चैनाराम जाति मेघवाल निवासीगण मौखुपुरा	2661	1.0800	0.0150	चाही प्रथम	हल्का नारंगी (कॉलम 9)	0.35




मुकदमा नम्बर 117/2024
सीता बनाम मोहनलाल
निर्णय तारीख 20.05.2025

1. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।


पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।




(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 20.5.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)